

कार्यालय नगर पालिक निगम धमतरी, जिला - धमतरी (छ.ग.)

Website - www.nagarnigamdhamtari.com, Email ID - commissionerdhamtari@gmail.com, Phone/Fax - 07722-241599

--: ई-प्रोक्चोरमेंट निविदा आमंत्रण सूचना (द्वितीय) :-

Main Portal : <http://eproc.cgstate.gov.in>

Municipal Corporation Portal: <http://www.nagarnigamdhamtari.com>

क्रमांक / कार्य.अभि. / लोक कर्म / ई निविदा / 2020 / 72 धमतरी, दिनांक 13/05/2020
टेण्डर सिस्टम नम्बर 63996

नगर पालिक निगम धमतरी द्वारा निगम क्षेत्रांतर्गत अधोसंरचना मद् अंतर्गत विभिन्न वार्डों में बी.टी. रोड निर्माण कार्य (02 कार्य) के लिए छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग में एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में एवं Main portal: eproc.cgstate.gov.in पर पंजीकृत ठेकेदारों से छत्तीसगढ़ के पी. डब्ल्यू.डी. सड़क एस.ओ.आर. 2015 (निविदा तिथि तक संशोधित) अनुसार प्रतिशत दर पर कार्य सम्पादन हेतु निविदा प्रपत्र "A" में दिनांक 01-06-2020 तक पृथक-पृथक ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित किया जाता है।

उपरोक्त 02 कार्यों का कार्यवार अनुमानित लागत, निर्धारित अमानत राशि, निविदा की सामान्य शर्तें, निविदा दस्तावेज व कार्यों से संबंधित अन्य विस्तृत जानकारी कार्यालयीन अवधि में निगम कार्यालय के लोक कर्म शाखा से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यह जानकारी ई-प्रोक्चोरमेंट वेब पोर्टल Main portal: eproc.cgstate.gov.in एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ अटल नगर, नवा रायपुर के वेबसाइट www.uad.cg.gov.in से भी डाउनलोड की जा सकती है।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

कार्यपालन अभियंता

नगर पालिक निगम धमतरी

धमतरी, दिनांक 13/05/2020

पू.क्रमांक / कार्य.अभि. / लोक कर्म / ई निविदा / 2020 / 73

प्रतिलिपि -

01. माननीय महापौर महोदय, नगर पालिक निगम धमतरी।
02. माननीय अध्यक्ष (स्पीकर) महोदय, नगर पालिक निगम धमतरी।
03. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, धमतरी।
04. उपायुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, धमतरी।
05. प्रभारी सदस्य, आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग, नगर पालिक निगम, धमतरी।
06. कार्यालय कलेक्टोरेट, जिला - धमतरी।
07. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), धमतरी।
08. कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, धमतरी।
09. प्रेषक, नगर पालिक निगम धमतरी को सूचना कार्यालय के सूचना पटल में चस्पा करने हेतु।
10. ग्रंथपाल, नगर पालिक निगम धमतरी को प्रकाशन पश्चात निविदा सूचना का पेपर कतरन लोक कर्म शाखा में प्रस्तुत करने हेतु।
11. डाटा सेन्टर प्रभारी, नगर पालिक निगम धमतरी उक्त सूचना विभागीय वेबसाइट, Main portal: eproc.cgstate.gov.in में अपलोड करें तथा डाटा सेन्टर रायपुर को भेजे।
12. संपादक, प्रतिनिधि, दैनिक समाचार पत्र कोसं.मी. साईज में उपरोक्त विज्ञापन प्रकाशित किये जाने तथा प्रकाशन उपरांत विज्ञापन सहित अखबार 02 सेट में तत्काल लोक कर्म शाखा में प्रस्तुत किये जाने हेतु।

कार्यपालन अभियंता

नगर पालिक निगम, धमतरी

कार्यालय नगर पालिक निगम धमतरी, जिला - धमतरी (छ.ग.)

Website - www.nagarnigandhamtari.com, Email ID - commissionerdhamtari@gmail.com, Phone/Fax - 07722-241599
धमतरी, दिनांक 13/09/2020

क्रमांक / कार्य.अभि. / लोक कर्म / ई निविदा / 2020 / 72

ई प्रोक्चूरमेन्ट निविदा आमंत्रण सूचना (द्वितीय) :-

Main Portal : <http://eproc.cgstate.gov.in>, Municipal Corporation Portal: <http://www.nagarnigandhamtari.in>

नगर पालिक निगम, धमतरी द्वारा अधोसंरचना मद् अंतर्गत स्वीकृत निम्न कार्य के लिये छ.ग. के लोक निर्माण विभाग में एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा जारी निम्नवत् प्रभावशील दर अनुसूची अनुसार प्रतिशत दर पर कार्य संपादन हेतु दिनांक 01-06-2020 को समय 05:30 बजे तक ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है -

क्र	कार्य का नाम	टेण्डर सिस्टम नम्बर	अनुमानित लागत (लाख में)	अमानत राशि	ठेकेदार की श्रेणी	कार्य पूर्ण करने की अवधि	प्रभावशील दर अनुसूची
01	02	03	04	05	06	07	08
01	स.व.भाई पटेल वार्ड में एन.एच. 30 से जैनम हाईवेस तक बी.टी. रोड निर्माण कार्य।	63996	29.27	22000.00	डी. एवं उच्च वर्ग	03 माह	छ.ग. लो.नि.वि. के सड़क एस. ओ.आर. 2015 (अद्यतन संशोधित अनुसार)
02	नवागांव वार्ड में एफ.सी.आई. चौक से उमंग चौक के आगे तक बी.टी. रोड निर्माण कार्य।		29.03	22000.00	डी. एवं उच्च वर्ग	03 माह	छ.ग. लो.नि.वि. के सड़क एस. ओ.आर. 2015 (अद्यतन संशोधित अनुसार)

टीप :-

01. निविदा में भाग लेने हेतु ठेकेदारों को लोक निर्माण विभाग में एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत ई-प्रोक्चूरमेन्ट Main portal: eproc.cgstate.gov.in पर पंजीयन होना अनिवार्य है।

02. निविदा में भाग लेने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को कार्य के लिए निम्नांकित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रति निर्धारित तिथि/समयावधि में ऑनलाईन प्रस्तुत/डाउनलोड किया जाना आवश्यक होगा -

01. एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत वैध ठेकेदारी पंजीयन प्रमाण पत्र (जो निविदा जमा करने की तिथि तक वैध हो)।
02. कार्य की निविदा लागत के कम से कम 10 प्रतिशत लागत राशि के बराबर या अधिक राशि का बैंक साल्वेंसी सर्टिफिकेट (जो निविदा जमा करने की तिथि तक वैध हो)
03. पेन कार्ड, विगत 03 वित्तीय वर्षों (2017-18 से 2019-2020 तक) का आयकर रिटर्न।
04. शासन नियमानुसार जी.एस.टी. में पंजीयन प्रमाण पत्र।
05. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPF) में पंजीयन प्रमाण पत्र।
06. 50.00 रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर निविदा प्रपत्र/आवेदन में आवेदक फर्म के संबंध में उल्लेखित जानकारी सत्य होने, दस्तावेज प्रमाणित होने, किसी भी विभाग की काली सूची में दर्ज या डिबार नहीं होने एवं नगर पालिक निगम धमतरी में निकटतम रिश्तेदार कार्यरत नहीं होने की जानकारी सत्य होने का नोटरियल शपथ पत्र।
07. उल्लेखित कार्यों हेतु डामरीकरण कार्य का हाट मिक्स हाट लेट पद्धति से किया जायेगा। अतः ठेकेदार के स्वामित्व में हाट मिक्सिंग प्लांट होने का लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के कार्यपालन अभियंता या उससे उच्च अधिकारी से प्रमाणित अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
08. उल्लेखित कार्य के लिए विगत 03 वित्तीय वर्षों के किसी 01 वित्तीय वर्ष में एक ही कार्यादेश में आवेदित कार्य की लागत का कम से कम 50 प्रतिशत लागत राशि का बी.टी. रोड निर्माण कार्य हाट मिक्स हाट लेट पद्धति से सम्पादन कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र (जो कि कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग अथवा संबंधित विभाग प्रमुख द्वारा जारी हो) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त वांछित समस्त जानकारी एवं दस्तावेज सही तथा उपयुक्त पाये जाने/निर्धारित आहता को पूर्ण करने वाले निविदाकार ही निविदा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे तथा उनकी ऑनलाईन निविदा दरें नेट से खोली जायेगी। उपर्युक्त प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि/असत्यता/कपट पाये जाने/कुट रचित दस्तावेज पाये जाने पर निविदाकर्ता को कमी भी अयोग्य घोषित कर वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।


03. निविदा में भाग लेने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को कार्यवार पृथक-पृथक निर्धारित अमानत राशि एफ.डी.आर के रूप में जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, धमतरी के नाम से देय हो तथा कडिका क्रं. 02 (06) में उल्लेखित विवरण अनुसार वांछित शपथ पत्र की मूल प्रति स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 02-06-2020 तक जमा किया जाना अनिवार्य है।
04. कार्य सम्पादन/कार्य के लिए श्रमिकों के नियोजन के संबंध में श्रम विभाग के प्रचलित नियमों का पालन करना होगा।
05. छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग के आदेश क्रमांक : एफ 21-5/टी/19/2012/निविदा/दिनांक 27.09.2016 द्वारा NIT में निहित प्रावधान अनुसार किसी ठेकेदार का "Annexure-A" में दी गई जानकारी अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक लागत का कार्य Work In Hands में होने की स्थिति में ऐसे ठेकेदार विज्ञापित कार्यों की निविदा में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे, ऐसे ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन निविदा स्वीकार्य नहीं होगा।
06. जिन ठेकेदारों ने पूर्व में इस विभाग में एवं अन्य विभागों में पूर्व के अनुबंधित कार्य अधूरे छोड़े हैं, उन्हें तकनीकी रूप से विज्ञापित कार्य की निविदा के लिए अयोग्य घोषित किया जायेगा।
07. उपरोक्त वांछित समस्त जानकारी एवं दस्तावेज सही तथा उपयुक्त पाये जाने/निर्धारित आहता को पूर्ण करने वाले निविदाकार ही निविदा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे तथा उनकी ऑनलाईन निविदा दरें नेट से खोली जायेगी। उपर्युक्त प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि/असत्यता/कपट पाये जाने/कुट रचित दस्तावेज पाये जाने पर निविदाकर्ता को कमी भी अयोग्य घोषित कर वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
08. जिन ठेकेदारों/फर्मों को निगम के कार्यों के लिए आमंत्रित निविदा में भाग लेने हेतु प्रतिबंधित किया गया है, उनके द्वारा विज्ञापित कार्य हेतु प्रस्तुत टेण्डर दस्तावेज, ऑनलाईन निविदा दर स्वीकार्य नहीं होगा।


09. निविदा प्रपत्र नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के वेबसाईट Main portal:eproc.cgstate.gov.in से प्राप्त किये जा सकते है। जो निविदाकार उक्त निविदा में भाग लेना चाहते है, निविदा प्रपत्र आनलाईन प्राप्त कर सकते है। निविदा में भाग लेने की प्रक्रिया एवं निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी उक्त वेबसाईट में देखे जा सकते है।
10. निविदा दर एस.ओ.आर. से अत्यधिक कम प्राप्त होने पर शासन के प्रचलित नियमानुसार निर्धारित परफार्मेंस गारंटी राशि 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उपरोक्त राशि को उपरोक्त समयावधि में जमा न कराने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त हो जायेगा।
11. कार्य सम्पादन/कार्य के लिए श्रमिकों के नियोजन के संबंध में श्रम विभाग के प्रचलित नियमों का पालन करना होगा।
12. शासन से इस मद में राशि प्राप्त होने पर/मद में राशि की उपलब्धता अनुसार कार्य का देयक भुगतान किया जावेगा।
13. सम्पादित कार्य के संबंध में यदि भविष्य में किसी भी प्रकार की रिकवरी होती है, तो इसकी वसूली संबंधित ठेकेदार से की जावेगी।
14. अन्य शर्तें तथा विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समयावधि में निगम कार्यालय के पी.डब्ल्यू.डी. शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

पृ.क्रमांक/कार्य.अभि./लोक कर्म/ई निविदा/2020/ 73
प्रतिलिपि -

01. माननीय महापीर महोदय, नगर पालिक निगम धमतरी।
02. अध्यक्ष (स्पीकर) महोदय, नगर पालिक निगम धमतरी।
03. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, धमतरी।
04. उपायुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, धमतरी।
05. प्रभारी सदस्य, आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग, नगर पालिक निगम, धमतरी।
06. कार्यालय कलेक्टर, जिला - धमतरी।
07. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धमतरी।
08. कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, धमतरी।
09. प्रेषक, नगर पालिक निगम धमतरी को कार्यालय के सूचना पटल में चस्पा करने हेतु।
10. डाटा सेन्टर प्रभारी, नगर पालिक निगम धमतरी उक्त सूचना विभागीय वेबसाईट, Main portal:eproc.cgstate.gov.in में अपलोड करें तथा डाटा सेन्टर रायपुर को भेजे।


कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम धमतरी
धमतरी, दिनांक / /2020


कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम धमतरी

कार्यालय नगर पालिक निगम धमतरी, जिला - धमतरी (छ.ग.)

Website - www.nagarnigandhamtari.com, Email ID - commissionerdhamtari@gmail.com, Phone/Fax No. 07722-241599

-: ऑनलाईन निविदा आमंत्रण सूचना (द्वितीय) क्रमांक 72 दिनांक 13.05.2020
तहत 02 बी.टी.रोड निर्माण कार्य के लिए नियम एवं निविदा शर्त :-

टेण्डर सिस्टम नम्बर - 63996

01. नगर पालिक निगम धमतरी द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 72 दिनांक 13.05.2020 तहत विज्ञापित कार्यों के लिए निविदा में भाग लेने हेतु इच्छुक उम्मीदवारों/ठेकेदारों/फर्मों का लोक निर्माण विभाग में एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ई-प्रोक्यूरमेंट Main portal:eproc.cgstate.gov.in पर ही ठेकेदारी का पंजीयन होना अनिवार्य है।

02. निविदा में भाग लेने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को विज्ञापित कार्य के लिए निम्नांकित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रति निर्धारित तिथि/समयावधि में ऑनलाईन प्रस्तुत/डाउनलोड किया जाना आवश्यक होगा -

01. एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत वैध ठेकेदारी पंजीयन प्रमाण पत्र (जो निविदा जमा करने की तिथि तक वैध हो)।

02. कार्य की निविदा लागत के कम से कम 15 प्रतिशत लागत राशि के बराबर या अधिक राशि का बैंक सात्वेंसी सर्टिफिकेट (जो निविदा जमा करने की तिथि तक वैध हो)

03. पेन कार्ड, विगत 03 वित्तीय वर्षों (2017-18 से 2019-20 तक) का आयकर रिटर्न।

04. शासन नियमानुसार जी.एस.टी. में पंजीयन प्रमाण पत्र।

05. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPF) में पंजीयन प्रमाण पत्र।

06. 50.00 रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर निविदा प्रपत्र/आवेदन में आवेदक फर्म के संबंध में उल्लेखित जानकारी सत्य होने, दस्तावेज प्रमाणित होने, किसी भी विभाग की काली सूची में दर्ज या डिबार नहीं होने एवं नगर पालिक निगम धमतरी में निकटतम रिश्तेदार कार्यरत नहीं होने की जानकारी सत्य होने का नोटरियल शपथ पत्र।

07. बी.टी. रोड निर्माण कार्य हेतु डामरीकरण का कार्य हाट मिक्स हाट लेट पद्धति से किया जायेगा। अतः ठेकेदार के स्वामित्व में हाट मिक्सिंग प्लांट होने का लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के कार्यपालन अभियंता या उससे उच्च अधिकारी से प्रमाणित अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

08. बी.टी. रोड निर्माण कार्य के लिए विगत 03 वित्तीय वर्षों के किसी 01 वित्तीय वर्ष में एक ही कार्यदेश में आवेदित कार्य की लागत का कम से कम 50 प्रतिशत लागत राशि का बी.टी. रोड निर्माण कार्य हाट मिक्स हाट लेट पद्धति से सम्पादन कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र (जो कि कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग अथवा संबंधित विभाग प्रमुख द्वारा जारी हो) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

03. बी.टी. रोड कार्य हेतु -

(i) The contractor shall also be responsible for performance of work carried out by him for a period of 60 (Sixty) month beyond the completion of work for which performance security has to be furnished by him @5% (five percent) of amount of contract. of for his purpose contractor has to submit to the department a Bank Guarantee of 5% amount of the value of work done on every running and final bill payable to him If contractor fails to submit bank guarantee of 5% amount of the gross bill, then 5% amount of bill shall be deducte from his runnig and final bill payment. However, the contactor can get refund of such performance cash security amount deducted if he submits appropriate bank guarantee valid of the perod as stated above or 60 (Sixty) month after actual completion.

If require, the Executive Engineer shall ask the contractor to extend the validity period of the Bank Guarantee (s) for such period of such Bank Guarantee accordingly. If the contractor fails to extend the period accordingly, the Executive Engineer shall encash the B.G. before the expiry of the validity period.



- (ii) After their years of completion of construction, 50% (fifty percent) of available performance Bank guarantee shall be returned to the contractor subject to the satisfaction of the Executive Engineer.
- (iii) Remaining performance Bank Guarantee as would be remaining (after recovery all cost plus 15% (Fifteen percent) for rectification of defects, if done by the department or through other agency) shall be returned after 60 (Sixty) months of completion. the performance guarantee will be in addition to the normal security to be deducted as per clause 1 of agreement for the execution of contract.

उपरोक्त वांछित समस्त जानकारी एवं दस्तावेज सही तथा उपयुक्त पाये जाने/निर्धारित आर्हता को पूर्ण करने वाले निविदाकार ही निविदा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे तथा उनकी ऑनलाईन निविदा दरें नेट से खोली जायेगी। उपर्युक्त प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि/असत्यता/कपट पाये जाने/कुट रचित दस्तावेज पाये जाने पर निविदाकर्ता को कभी भी अयोग्य घोषित कर वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

इसी प्रकार जिन ठेकेदारों/फर्मों को निगम के कार्यों के लिए आमंत्रित निविदा में भाग लेने हेतु प्रतिबंधित किया गया है, उनके द्वारा विज्ञापित कार्य हेतु प्रस्तुत टेण्डर दस्तावेज, ऑनलाईन निविदा दर स्वीकार्य नहीं होगा।

04. निविदा में भाग लेने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को कार्यवार पृथक-पृथक निर्धारित अमानत राशि एफ. डी.आर के रूप में जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, धमतरी के नाम से देय हो तथा कंडिका क्रं. 02 (06) में उल्लेखित विवरण अनुसार वांछित शपथ पत्र की मूल प्रति स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 02.06.2020 तक जमा किया जाना अनिवार्य है।
05. कार्य सम्पादन/कार्य के लिए श्रमिकों के नियोजन के संबंध में श्रम विभाग के प्रचलित नियमों का पालन करना होगा।
06. जिन ठेकेदारों ने पूर्व में इस विभाग में एवं अन्य विभागों में पूर्व के अनुबंधित कार्य अधूरे छोड़े हैं, उन्हें तकनीकी रूप से विज्ञापित कार्य की निविदा के लिए अयोग्य घोषित किया जायेगा।
07. उपरोक्त वांछित समस्त जानकारी एवं दस्तावेज सही तथा उपयुक्त पाये जाने/निर्धारित आर्हता को पूर्ण करने वाले निविदाकार ही निविदा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे तथा उनकी ऑनलाईन निविदा दरें नेट से खोली जायेगी। उपर्युक्त प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि/असत्यता/कपट पाये जाने/कुट रचित दस्तावेज पाये जाने पर निविदाकर्ता को कभी भी अयोग्य घोषित कर वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
08. जिन ठेकेदारों/फर्मों को निगम के कार्यों के लिए आमंत्रित निविदा में भाग लेने हेतु प्रतिबंधित किया गया है, उनके द्वारा विज्ञापित कार्य हेतु प्रस्तुत टेण्डर दस्तावेज, ऑनलाईन निविदा दर स्वीकार्य नहीं होगा।
09. निविदा प्रपत्र नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के वेबसाईट Main portal:eproc.cgstate.gov.in से प्राप्त किये जा सकते हैं। जो निविदाकार उक्त निविदा में भाग लेना चाहते हैं, निविदा प्रपत्र आनलाईन प्राप्त कर सकते हैं। निविदा में भाग लेने की प्रक्रिया एवं निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी उक्त वेबसाईट में देखे जा सकते हैं।
10. निविदा दर एस.ओ.आर. से अत्यधिक कम प्राप्त होने पर शासन के प्रचलित नियमानुसार निर्धारित परफार्मेंस गारंटी राशि 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उपरोक्त राशि को उपरोक्त समयावधि में जमा न कराने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त हो जायेगा।

11. कार्य सम्पादन/कार्य के लिए श्रमिकों के नियोजन के संबंध में श्रम विभाग के प्रचलित नियमों का पालन करना होगा।
12. शासन से इस मद में राशि प्राप्त होने पर/मद में राशि की उपलब्धता अनुसार कार्य का देयक भुगतान किया जावेगा।
13. सम्पादित कार्य के संबंध में यदि भविष्य में किसी भी प्रकार की रिकवरी होती है, तो इसकी वसूली संबंधित ठेकेदार से की जावेगी।
14. अन्य शर्तें तथा विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समयावधि में निगम कार्यालय के पी.डब्ल्यू.डी. शाखा से प्राप्त की जा सकती है।
15. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
16. कार्य सम्पादन के लिए छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग के प्रचलित/विज्ञापन में उल्लेखित एस.ओ.आर. अनुसार निविदा दर प्रतिशत आधार पर (शासन को देय समस्त करों सहित) प्रस्तुत करना होगा।
17. निविदा दर एस.ओ.आर. से अत्यधिक कम प्राप्त होने पर शासन के प्रचलित नियमानुसार निर्धारित परफार्मेंस गारंटी राशि नियमानुसार एफ.डी.आर. के रूप में सूचना अनुसार निर्धारित समयावधि 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। उपरोक्त राशि को उपरोक्त समयावधि में जमा न कराने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त हो जायेगा।
18. कार्य सम्पादन/कार्य के लिए श्रमिकों के नियोजन के संबंध में श्रम विभाग के प्रचलित नियमों का पालन करना होगा। अनुबंधित ठेकेदार द्वारा कार्य पर नियोजित श्रमिकों को शासन द्वारा निर्धारित दर पर मजदूरी का भुगतान करना होगा।
19. विज्ञापित कार्यों की निविदा में भाग लेने वाले किसी भी ठेकेदार द्वारा निविदा की प्रस्तुती यह विवक्षित करती है कि उसने निविदा की सूचना एवं समस्त शर्तों तथा अन्य संविदा दस्तावेजों को पढ़ लिया है एवं इस संबंध में भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता 1970, भारतीय मानकों किये जाने वाले कार्य के क्षेत्र विनिर्देश, मानक एवं प्रक्रिया के संबंध में स्वयं को सतर्क कर लिया है। स्वयं की पहुंच से कार्य स्थल आदि की जांच कर ली है एवं स्वयं को स्थल के कार्य आदि की उपयुक्तता एवं उपलब्धता के संबंध में संतुष्ट कर लिया है तथा स्वयं को खदानों पर सामाग्री की उपयुक्तता के संबंध में संतुष्ट कर लिया है।
20. निविदा सूचना पत्र/एन.आई.टी. की सभी निर्धारित शर्तें निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों पर विहित प्रारूप में संविदा की सभी शर्तों के अलावा बंधनकारी होगी।
21. निविदा/निविदा दर स्वीकृति हेतु अधिकृत पदाधिकारी का किसी भी निविदा/प्राप्त निविदा दर को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने तथा आवश्यकतानुसार निविदा शर्तों में संशोधन/परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
22. प्राप्त निविदायें खोलने के उपरांत सफल निविदाकार की जमा निविदा अमानत राशि को छोड़कर शेष निविदाकारों की जमा अमानत राशि नियमानुसार वापस की जायेगी। सफल निविदाकार की जमा अमानत राशि संतोषप्रद ढंग से कार्य सम्पादन एवं कार्य के अंतिम देयक भुगतान उपरांत नियमानुसार वापसी योग्य होगी।
23. ठेकेदार को निविदा दर की स्वीकृति उपरांत कार्यालयीन सूचना अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर अनिवार्य रूप से कार्यानुबंध निष्पादन करना होगा तथा कार्य के लिए निविदा दर अत्याधिक कम होने की स्थिति में निर्धारित परफार्मेंस गारंटी राशि सूचना अनुसार निर्धारित समयावधि में अनिवार्यतः जमा करना होगा। परफार्मेंस गारंटी राशि को उपरोक्त समयावधि में जमा न कराने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त हो जायेगा।

24. शासन से स्वीकृति/अनुदान प्राप्ति/मद में राशि की उपलब्धता के अनुसार सम्पादित कार्य का देयक भुगतान किया जायेगा।
25. कार्यादेश उपरांत ले-आउट दिये जाने पर कार्य तत्काल प्रारंभ कर निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। कार्यावधि की गणना कार्य के ले-आउट तिथि से की जायेगी। कार्य में लगने वाली समस्त सामग्री की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी। निगम द्वारा किसी भी प्रकार की सामग्री न तो प्रदाय की जावेगी और न ही उसे प्राप्त करने में सहायता की जावेगी।
26. सभी स्थिति कार्यानुकूल होने के पश्चात् भी ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किये जाने पर पी.डब्ल्यू.डी. के प्रचलित नियमानुसार या अनुबंध शर्तों के अनुसार कार्य की कुल लागत का 10 प्रतिशत तक अर्थदण्ड/पेनाल्टी आरोपित कर देयक से राशि कटौती किया जायेगा।
27. ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरा छोड़े जाने की स्थिति में नियमानुसार शेष कार्य के लिए निविदा आमंत्रित कर कार्य पूर्ण कराया जायेगा एवं शेष कार्य की मूल्यांकित/लागत राशि का 10 प्रतिशत राशि ठेकेदार के पूर्व देयक (यदि देयक भुगतान नहीं किया गया हो) से कटौती कर अथवा उनकी अमानत/सुरक्षा निधि/परफार्मिस गारंटी राशि को राजसात कर अथवा नगर पालिक निगम अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत निगम के बकाया करों/शुल्को/भू-राजस्व की वसूली की तरह/रीति से वसूली की कार्यवाही की जाएगी। पूर्व में रिस्क एण्ड कास्ट पर या इस रीति से जिन निविदाकारों/ठेकेदारों के कार्यों की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है, उन्हें निगम के किसी भी कार्य के लिए निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।
28. ठेकेदार को कार्य का सम्पादन संबंधित साईट इंजीनियर के दिशा निर्देश में निविदा/अनुबंध शर्तों, कार्य के प्राक्कलन, निर्धारित मापदण्ड/गुणवत्ता के अनुसार करना होगा। कार्य निर्धारित गुणवत्ता युक्त नहीं होने पर उसमें निर्देशानुसार आवश्यक सुधार/मरम्मत कार्य करना होगा। उक्त मरम्मत/सुधार कार्य के लिए ठेकेदार को अलग से कोई अतिरिक्त राशि देय/भुगतान नहीं होगा।
29. सुरक्षा निधि राशि 05 प्रतिशत (प्रत्येक चल देयक से) रोकी जायेगी साथ ही शासन नियमानुसार सम्पादित कार्य/देयक का अधिकतम 90 प्रतिशत राशि चल देयकों के माध्यम से भुगतान की जावेगी। शेष 10 प्रतिशत रोकी गई राशि अंतिम देयक के साथ कार्य में प्रयुक्त गौण खनिज का रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भुगतान की जावेगी। चल देयकों में से नियमानुसार शासन को देय विभिन्न करों की कटौती की जावेगी।
30. The Security Deposit of the contractor to the extent of 50% shall be refunded on his getting the completion certificate, provided that the recoveries outstanding against him are realised. Balance 25% of the amount shall be refunded after 4 months in case of building work and 6 months in case of Road work of completion of work, even if the final bill is not passed, balance 25% shall be refunded after the final bill is passed.

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ नया रायपुर के पत्र क्रमांक/या.प्र./निर्देश/203/2017/6476/रायपुर, दिनांक 03.06.2017 द्वारा दिये गए निर्देश अनुसार उपरोक्त शर्त निविदा प्रपत्र के फार्म "ए" के क्लॉस 39 के रूप में सम्मिलित/प्रावधानित माना जावें।

31. कार्य के दौरान विशेष परिस्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यकता अनुसार कार्य की लागत में कमी या वृद्धि निविदा प्रपत्र "ए"/पी.डब्ल्यू.डी. मैनुअल में निहित प्रावधानों के अनुसार की जा सकेगी।
32. निविदा प्रपत्र "ए" के क्लॉस 11 अनुसार स्कालेशन देय नहीं होगा।
33. सम्पादित कार्य का गुणवत्ता परीक्षण (Test Report) नियमानुसार शासन के मान्यता प्राप्त संस्थान से कराकर टेस्ट रिपोर्ट समयावधि में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार आर.सी. सी. कार्य में BIS से एप्रूव्ड निर्माता कंपनी द्वारा निर्मित छड़/स्टील का प्रयोग करना होगा तथा क्रय की गई छड़/स्टील का स्वसत्यापित बिल भी कार्य का देयक तैयार करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

34. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य सम्पादन उपरांत स्थल/कार्य का अलग-अलग एंगल से 03-03 कॉपी में उच्च गुणवत्ता का डिजिटल फोटोग्राफ (फोटोग्राफ में कार्य के पूर्ण एवं स्पष्ट नाम लेखन सहित) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
35. प्रचलित एस.ओ.आर. से अत्यधिक कम निविदा दर (स्वीकृत) पर कार्य सम्पादन करने की स्थिति में ठेकेदार द्वारा कार्य के लिए जमा अतिरिक्त सुरक्षा निधि (परफार्मेंस गारंटी) राशि कार्यपूर्णता के पश्चात् ही एवं संतोषप्रद कार्य सम्पादन की स्थिति में नियमानुसार वापसी योग्य होगा।
36. सम्पादित कार्य के संबंध में यदि भविष्य में किसी भी प्रकार की रिकवरी होती है, तो इसकी वसूली संबंधित ठेकेदार से की जावेगी।
37. निविदाकर्ता/ठेकेदार को कार्य स्थल पर कार्य का विस्तृत विवरण (कार्य का नाम, योजना/मद, कार्य की लागत आदि) दर्शाते एक बोर्ड लगाना आवश्यक होगा।
38. निविदा/कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विवाद के निराकरण हेतु आयुक्त, नगर पालिक निगम धमतरी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)


कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम धमतरी